41–(08)–30–2018

पटना में दिनांक–01 मार्च, 2018 वृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले किन्नर समुदाय (Transgender) को पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में आच्छादित करते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में। — **1. स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2. बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश, 1984 की कंडिका–27 की उप कंडिका–"ग" में प्रयुक्त शब्दों "एवं विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन" को अनुसूची–1 के भाग ड़ (अन्य वस्तुएँ) का क्रमांक–2 में उल्लिखित "किरोसिन तेल" के संबंध में एतद् द्वारा विलोपित करने के संबंध में। — **2. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड–1 को बिहार पुलिस के सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक के समान ग्रेड पे/वेतन लेवल देने के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं के ऑन–लाइन (कम्प्यूटर आधारित) आयोजन हेतु "बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा–संचालन नियमावली, 2010" के नियम–5 को संशोधित करने के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

5. "बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018" के संबंध में। — **5. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

6. कमला बलान दाँया तटबंध के कि०मी० 91.50 से कि०मी० 96.50 तक विस्तारीकरण कार्य एवं विभिन्न बिन्दुओं पर सुरक्षात्मक कार्य तथा कमला बलान बाँया तटबंध के कि०मी० 19.70 से कि०मी० 22.00 एवं कि०मी० 94.00 से कि०मी० 103.12 तक विस्तारीकरण एवं ब्रिक सोलिंग कार्य का पुनरीक्षित योजना (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 9242.60 लाख), (बेरान्वे करोड़ बयालिस लाख साठ हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — **6. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

7. गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखंड में मोहाने नदी पर बतसपुर वीयर के साथ अपस्ट्रीम में हेड रेगूलेटर का निर्माण कार्य तथा मोराटाल पईन एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 4323.08 लाख (तेतालीस करोड़ तेईस लाख आठ हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 7. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

8. खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग–2 का पुनरीक्षित योजना (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 5231.23 लाख) (बावन करोड़ एकत्तीस लाख तेइस हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 8. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

9. कमला बलान दॉया तटबंध के कि०मी० 96.50 से कि०मी० 110.48 (कि०मी० 111.29 तक विस्तारित) तक विस्तारीकरण कार्य एवं अक्राम्य बिन्दुओं पर सुरक्षात्मक कार्य तथा तटबंध शीर्ष पर ब्रिक सोलिंग कार्य का पुनरीक्षित योजना (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 15065.15 लाख), (एक सौ पचास करोड़ पैंसठ लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 9. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

10. खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग–1 का पुनरीक्षित योजना (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 5875.47 लाख)(अन्ठावन करोड़ पचहत्तर लाख सैंतालीस हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 10. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. स्थानीय नगर निकायों के कर्मियों को पंचम/षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने संबंधी संकल्प में सहायक प्रशासक/कार्यपालक पदाधिकारी का ग्रेड पे में संशोधन। — 11. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

12. बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018 की स्वीकृति के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

13. श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्का० निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.-17325/13 में दिनांक– 05.05.2014 एवं C.W.J.C No.-14540/14 में दिनांक–02.11.2017 तथा M.J.C No.-3865/14 में दिनांक–24.01.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में उनके विरूद्ध संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं0–2741 दिनांक–27.06.2014 को निरस्त करते हुए शत् प्रतिशत पेंशन का भुगतान करने की स्वीकृति एल०पी०ए० में पारित आदेश से प्रभावित होने की शर्त्त के साथ प्रदान करने का प्रस्ताव। — 13. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

14. पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत हाजीपुर–लालगंज–वैशाली पथ (एस०एच०–74) के कि०मी० 0.00 से 37.20 तक (कुल 37.20 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP /उन्नयन कार्य कुल 3833.31 लाख (अड़तीस करोड़ तैंतीस लाख इकतीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए॰आई॰सी॰टी॰ ई॰) के मापदण्ड एवं संवर्ग संरचना के अनुसार विभागान्तर्गत 30 राजकीय पोलिटेकनिक एवं 2 राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आवश्यक 266 (दो सौ छियासठ) शैक्षणिक पदों का सृजन तथा अप्रासंगिक 135 (एक सौ पैंतीस) शैक्षणिक पदों का प्रत्यर्पण की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

16. नालन्दा जिला में स्थापित एवं संचालित नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के द्वितीय चरण में प्रस्तावित भवनों के निर्माण एवं बाह्य विद्युतीकरण सहित परिसर विकास कार्यों के लिए कुल रू० 3564.00 लाख (पैंतीस करोड़ चौंसठ लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17. याचिका संख्या–21970/2012 श्वेताम्बर झा बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य सदृश्य याचिकाओं में पारित न्यायादेश एवं अवमाननावाद संख्या–3657/2016 में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वर्ष 1984–85 चरण के कुल 211 परियोजना विद्यालयों में राज्यादेश संख्या– 56, दिनांक–25.01.2000 के अनुसार 237 शिक्षकों की मान्यता एवं वेतन भुगतान दिनांक–01.01.1989 से किए जाने हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति के आलोक में 237 शिक्षकों के पदों को दिनांक–25.01.2000 के स्थान पर दिनांक–01.01.1989 से सृजित करने की स्वीकृति एवं इनके दिनांक–01.01.1989 से दिनांक–24.01.2000 तक के बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु कुल 15,00,00,000.00 (पन्द्रह करोड़) रू० के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

18. SPV Agreement की अवधि बढ़ाने एवं M/s BeST Ltd. को 5 करोड़ तक की परियोजना लागत के 2% की दर से Nomination के आधार पर Consultancy Services आदि कार्यों को प्रदत्त करने के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

19. नालन्दा विश्वविद्यालय के निकट राजगीर में आई०टी० सिटी के निर्माण के लिए पूर्व में आवंटित रकवा– 200 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु कुल प्रतिपूर्ति राशि ₹ 43,54,76,972.00 (तैंतालीस करोड़ चौवन लाख छिहत्तर हजार नौ सौ बहत्तर) मात्र के स्थान पर वर्त्तमान में आवंटित रकवा 111.17 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 61,00,61,870.00 (इकसठ करोड़ इकसठ हजार आठ सौ सत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

20. श्री प्रदीप कुमार सिंह, तत्कालीन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मधेपुरा, सम्प्रति निलंबित– मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर को भ्रष्ट आचरण (Misconduct) के लिए ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2007'' की कंडिका–2 के नियम–14(XI) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत ''सेवा से बर्खास्त'' करने का प्रस्ताव। — **20. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

21. राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना में सुचारू रूप से शैक्षणिक कार्य संचालित रखने हेतु कार्यहित/छात्रहित में संविदा के आधार पर कार्यरत 08 (आठ) व्याख्याताओं (पदनामित सहायक प्राध्यापकों) की दिनांक–12.06.2017 के प्रभाव से अगले एक वर्ष के लिए संविदा अवधि विस्तारित करने के संबंध में। **21. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

22. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प 944(14) दिनांक–20.08.14 द्वारा प्रावधानित सुविधा में विकल्प के आधार पर शामिल सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को इस योजना से बाहर निकलने एवं पूर्व की तरह चिकित्सा भत्ता पुनः प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति। **22. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

23. बिहार पथकर नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत पथ निर्माण विभाग द्वारा पथकर संग्रह हेतु अन्तरित पुलों (नाबार्ड ऋण पुलों सहित) पर किये जा रहे पथकर संग्रह को समाप्त (बंद) करने एवं इस निधि हेतु गठित पुल विकास निधि (Bridge Development Fund) को बंद करने के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

24. श्री दिलीप कुमार (आई०डी०–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वालमीकिनगर संप्रति कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल–01, गोह, औरंगाबाद को नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक परियोजना के अंतर्गत एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करने संबंधी वित्तीय अनियमितता एवं जान–बुझ कर सरकारी राशि के गबन करने में सहयोग करने संबंधी आरोप के लिए सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

27.	पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु पहुँच पथ की अनापत्ति के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथों पर निर्धारित मानदण्ड/दर लागू करने के संबंध में।	**27.**	**स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

28.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2015–16 मौसम हेतु राज्य योजना से क्षतिपूर्ति अनुदान मद में 9780.62 लाख (सनतानबे करोड़ अस्सी लाख बासठ हजार रूपया मात्र) रूपये के व्यय की स्वीकृति तथा प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप राशि की निकासी के संबंध में।	**28.**	**स्वीकृत।**